पीआईएल दाखिल कर चुके श्रीचंद जैन को बिजली चोरी में 1 साल की जेल, 3.62 लाख जुर्माना

- बिजली चोरी के दोषी श्रीचंद जैन, बिजली मुद्दों पर जनहित याचिका दाखिल करने के लिए जाने जाते हैं

नई दिल्लीः 28 जनवरी, 2013। बिजली मुद्दों पर जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिर करने वाले श्रीचंद जैन खुद बिजली चोरी मामले में फंस गए हैं। कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 11. 5 किलोवॉट बिजली की चोरी करने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर सिविल लायबिलिटी के तौर पर 3. 62 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। वह औद्योगिक कार्यों के लिए बिजली की चोरी करते पकड़े गए थे।

जैन के खिलाफ टिप्पणी करते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा है– अभियुक्त को बिना किसी वैध कारण के, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। मेरी नजर में अभियुक्त द्वारा किया गया बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है। मैं अभियुक्त को एक साल कैद की सजा सुनाता हूं। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियुक्त पर, सिविल लायबिलिटी के तौर पर, 3. 62 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के मुताबिक– अपील/ रिवीजन आदि की अवधि समाप्त होने के बाद, शिकायतकर्ता कंपनी इस राशि को वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

पिछले 6 साल से अधिक समय से श्रीचंद जैन कोर्ट में इस मामले में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कंपनी के पास सारे सबूत मौजूद थे। अंततः श्रीचंद जैन ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष यह स्वीकार किया कि वह 11. 5 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहे थे।

अभियुक्त श्रीचंद जैन की ओर से स्पेशल कोर्ट में उनके वकील मनोहर चंद्रा पैरवी कर रहे थे, जबकि हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल में वकील सुग्रीव उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

क्या था मामलाः

18 मार्च, 2006 को बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने श्रीचंद जैन, पुत्र श्री सूरज भान जैन, निवासी 174, न्यू सूर्यकिरण अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 65, आईपी एक्सटेंशन द्वारा चलाई जा रही फैक्टरी पर छापा मारा था। यह फैक्टरी जवाहर नगर में स्थित थी। बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम को सूचना मिली थी कि ट्रॉलियां बनाने वाली इस फैक्टरी में बिजली का कोई मीटर नहीं है। टीम ने जब जांच की तो सूचना सही निकली। उसके बाद एन्फोर्समेंट टीम ने श्रीचंद जैन की फैक्टरी पर छापा मारा, जहां 11. 5 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ में आई। एन्फोर्समेंट टीम ने कैमरे में रेकॉर्ड किया कि फैक्टरी के पास बिजली का कोई मीटर नहीं था और वहां बीवाईपीएल के डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स में तार जोड़कर बिजली की सीधी सप्लाई ली जा रही थी।

छापेमारी के बाद बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत, श्रीचंद जैन को 4. 53 लाख रूपये का जुर्माना किया। लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। उसके बाद मामले को बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया। अब स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की जेल और 3.62 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।